

प्रेस नोट दिनांक- 12.05.2025

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

◆थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 1.265 किलोग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली-आदित्य लांगहे पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा जनपद में गाँजे की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण/वांछित की गिरफ्तारी एवम् जुर्म जरायम के रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी पं.दी.द.उ.नगर राजीव सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पचफेड़वाँ रिंग रोड के नीचे वाराणसी चन्दौली हाईवे के किनारे सर्विस लेन के पास से एक व्यक्ति को एक पिट्टू बैग में लिये 1 किलो 265 ग्राम अवैध गाँजा के साथ दिनांक 11.05.2025 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुअ0सं0 150/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं काफी समय से बिहार झारखण्ड से गाँजा खरीद कर लाता हूँ तथा आस-पास के क्षेत्रों में पुड़िया बनाकर घूम-घूमकर उँचे दामों में बेचता हूँ। इस धंधे में मुझे काफी मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.रोहित कुमार बिन्दु पुत्र मुरारी बिन्दु निवासी मोहम्मदपुर पचफेड़वाँ थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र 23 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1.मुअ0सं0 150/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

विवरण बरामदगी -

1.पिट्टू बैग से 1 किलो 265 ग्राम नाजायज गाँजा बरामद किया गया

गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
- 2.उ0नि0 अनिल कुमार यादव चौकी प्रभारी आलूमील थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 3.हे0का0 कमलेश पाण्डेय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 4.हे0का0 रोशन यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 5.का अली अहमद थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना मुगलसराय जनपद चंदौली

◆थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चार बैग में भरकर ले जा रहे कुल 18 लीटर 900 ग्राम अवैध अंग्रेजी शराब व 39 लीटर बीयर की बरामदगी के साथ 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

चंदौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगे द्वारा जनपद मे शराब तस्करी व मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक अनन्त चन्द्रशेखर एवं क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर राजीव सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय गगनराज सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान मुखबीर की सूचना पर रविनगर मोड़ मुगलसराय से दिनांक 12.05.25 को 04 अभियुक्तों 1. आयुष कुमार पुत्र राजू प्रसाद नि0 बेउड जेल हसनपुरा रोड पैथानी नत्थूपुर थाना बेउड जनपद पटना (बिहार) उम्र 18 वर्ष 2. मोन्टी कुमार पुत्र क्रान्ति कुमार ग्राम पैथानी नत्थूपुर थाना बेउर जनपद पटना बिहार उम्र 18 वर्ष 3. विक्की कुमार पुत्र सुरेश राम नि0 मकसूद थाना फतुआ जि0 पटना उम्र 24वर्ष व 4. गुड्डू चोपा पुत्र मोहन चोपा नि0 पलवा थाना बडगाव जि0 दरभंगा बिहार उम्र 20 वर्ष को रविनगर मोड़ से चार बैग/झोला में 18 लीटर 900 ग्राम अंग्रेजी शराब व 39 लीटर बीयर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0स0- 262/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रीम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण-

- 1.आयुष कुमार पुत्र राजू प्रसाद नि0 बेउड जेल हसनपुरा रोड पैथानी नत्थूपुर थाना बेउड जनपद पटना बिहार उम्र 18 वर्ष
- 2.मोन्टी कुमार पुत्र क्रान्ति कुमार ग्राम पैथानी नत्थूपुर थाना बेउर जनपद पटना बिहार उम्र 18 वर्ष
- 3.विक्की कुमार पुत्र सुरेश राम नि0 मकसूद थाना फतुआ जि0 पटना उम्र 24वर्ष
- 4.गुड्डू चोपा पुत्र मोहन चोपा नि0 पलवा थाना बडगाव जि0 दरभंगा बिहार उम्र 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

- 1.मु0अ0स0-262/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

विवरण बरामदगी:-

- 1.चार बैग/झोला मे 18 लीटर 900 ग्राम अंग्रेजी शराब व 39 लीटर बीयर

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।
- 2.उ0नि0 ओमप्रकाश प्रजापति थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
- 3.हे0का0 योगेश प्रताप थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
- 4.उ0नि0 संजय ओझा थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
- 5.म0हे0का0 निर्मला मौर्या थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली